CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

महिलाओं के मानवाधिकार एवं तीन तलाक–वस्तुस्थिति

डॉ अशोक कुमार शर्मा
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
अतिथि शिक्षक (बिद्या संबल योजना)
राजकीय महाविधालय बोराडा , केकड़ी
Email- drashoksharma74@Gmail.Com, Mobile-9214638764

First draft received: 15.03.2024, Reviewed: 25.03.2024, Final proof received: 27.03.2024, Accepted: 31.03.2024

सार संक्षेप

अथर्ववेद के इस श्लोक का हिन्दी रूपान्तर है कि जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है, उस कुल में देवता निवास करते हैं, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहां पर सभी कार्य निष्फल होते हैं । इस्लाम में भी शास्त्र, सांस्कृतिक परम्पराऐं और न्यायशास्त्र पुरुषों और महिलाओं के सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। कुरान की सूरः बकर (2:228) में कहा गया है कि महिलाओं लिए भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं, जैसे मर्दों के अधिकार उन पर हैं। कुरान में महिला के महत्व और स्थान के बारे में कई एक छंद मौजूद हैं। औरत चाहे मां हो बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, इस्लाम ने उनमें से प्रत्येक के अधिकार व फराइज का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस्लामी धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि अल्लाह ने निर्माण के स्तर में महिला और पुरुष का बराबर का स्थान दिया है। मनुष्य होने के नाते महिला का वही स्थान है जो पुरुष को प्राप्त है। इस्लाम ने औरत को प्रशिक्षण दिया और नुपका का अधिकार दिया कि उसे रोटी. कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज की सुरक्षा, वालियल अम्र की तरफ से मिलेगी । इस्लाम ने पुरूषों की तरह महिलाओं को भी स्वामित्व दिया है वे न केवल खुद कमा सकती है बल्कि विरासत के तहत प्राप्त होने वाली सम्पत्ति की मालिक भी बन सकती है। इस्लाम ने बेटी और बहन के रूप में भी उसके अधिकार बयान किये गए हैं। इन्हें भी विरासत का हकदार ठहराया है।

मुख्य शब्द : *न्यायशास्त्र, सांस्कृतिक परम्पराए, अधिकार, फराइज, नुपका, विरासत आदि.*

प्रस्तावना

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्ताफलाः क्रियाः।।

अथर्ववेद के इस श्लोक का हिन्दी रूपान्तर है कि जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है, उस कुल में देवता निवास करते हैं, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहां पर सभी कार्य निष्फल होते हैं । इस्लाम में भी शास्त्र, सांस्कृतिक परम्पराऐं और न्यायशास्त्र पुरुषों और महिलाओं के सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। कुरान की सूरः बकर (2:228) में कहा गया है कि महिलाओं लिए भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं, जैसे मर्दों के अधिकार उन पर हैं। कुरान में महिला के महत्व और स्थान के बारे में कई एक छंद मौजूद हैं। औरत चाहे मां हो बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, इस्लाम ने उनमें से प्रत्येक के अधिकार व फराइज का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस्लामी धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि अल्लाह ने निर्माण के स्तर में महिला और पुरुष का बराबर का स्थान दिया है। मनुष्य होने के नाते महिला का वही स्थान है जो पुरुष को प्राप्त है। इस्लाम ने औरत को प्रशिक्षण दिया और नुपका का अधिकार दिया कि उसे रोटी. कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज की सुरक्षा, वालियल अम्र की तरफ से मिलेगी । इस्लाम ने पुरूषों की तरह महिलाओं को भी स्वामित्व दिया है वे न केवल खुद कमा सकती है बल्कि विरासत के तहत प्राप्त होने वाली सम्पत्ति की मालिक भी बन सकती है। इस्लाम ने बेटी और बहन के रूप में भी उसके अधिकार बयान किये गए हैं। इन्हें भी विरासत का हकदार ठहराया है।

कुरानी आयतों और हदीसे तैयबा से स्पष्ट होता है कि इस्लाम ने औरत को सम्मानजनक स्थान और अधिकार भी निर्धारित कर दिये थे जिनके कारण वह समाज में सम्मान और गरिमा के साथ शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकती थी। किन्तु वास्तविक स्थिति को देखने से ज्ञात होता है कि इस्लाम में स्त्री और पुरुष का बराबरी का हक महज एक गलतफहमी है।

इस्लाम में तलाक

इस्लाम में तलाक के कई तरीके हैं। इनमें अहसान, हसन और तलाक–ए–बिद्वत (तीन तलाक) शामिल हैं। एहसान और हसन से पीछे हटा जा सकता है, वहीं तलाक–ए–बिद्वत से मुकरने की गुंजाइश नहीं है। तलाक–ए–सुन्नत इस्लाम में इस तरह के तलाक को निम्न प्रकार से बांटा गया है–

अहसान – अहसान में तुहर यानि शुद्धता या 2 मासिक धर्म चक्रों के बीच के समय के दौरान एक तलाक का उच्चारण होता है तुहर की स्थिति केवल मौखिक तलाक के मामले में लागू होती है, न कि लिखित तलाक के मामले में अष्टन के रूप में तलाक को इद्दत काल खत्म होने से पहले किसी भी समय रद्द कर दिया जा सकता है, इस प्रकार पति द्वारा तलाक के किसी भी बेकार निर्णय को रोका जा सकता है। तलाक होने के उपरान्त भी यह जोड़ा चाहे तो भविष्य में शादी कर सकता है, इसलिए इस तलाक को अहसन (सर्वश्रेष्ठ) कहा जा सकता है।

हसन – इसमें पति को लगातार 03 दिनों के दौरान तीन बार तलाक का उच्चारण करने की आवश्यकता होती है, जो अन्तिम घोषणा के बाद अन्तिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है। तुहर की इस अवधि के दौरान कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बनाया जाना चाहिए।

तलाक–ए–बिद्दत – बिद्दत्त का अर्थ तत्काल तलाक है यह इस्लाम में विवादास्पद ट्रिपल तलाक या 3 तलाक है, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक माना गया था। इस्लाम में ट्रिपल तलाक या 3 तलाक पति द्वारा तत्काल तलाक है, जिसमें तलाक वैध होने की कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है जब पति तीन बार श्तलाकश शब्द का उच्चारण करता है, तलाक तुरन्त अन्तिम होता है। संसद में ट्रिपल तलाक विधेयक पारित किया है, इस अभ्यास को एक अपराध बना दिया है और यदि अभ्यास किया जाता है तो 03 साल के कारावास के अधीन है।

इला – इस्लाम में इस प्रकार के तलाक के तहत पति 04 माह तक की अवधि के लिये अपनी पत्नी के साथ यौन सम्बन्धों से दूर रहने का वचन देता है। इस

अवधि के बाद शादी स्वचालित रूप से घुल जाती है। हालांकि अगर पति इस अवधि के दौरान अपनी पत्नी के साथ मिलता है, तो इला रद्द कर दिया जाता है।

जिहार - इस्लाम में इस प्रकार के तलाक में पति अपनी पत्नी को अपनी मां या पत्नी की तरह किसी अन्य महिला के बराबर शीर्षक देता है। इस तरह की तुलना के बाद पति को 04 महिने तक इस पत्नी से सहवास से बचना होता है इस तरह के तलाक को रद्द कर दिया जाता है यदि पति उन 04 महीनों के दौरान सहवास शुरू करता है और 02 महीने तक उपवास करता है, 60 या उससे अधिक लोगों को भोजन प्रदान करता है या गुलाम को मुक्त करता है। हालांकि इस अवधि के अंत में पत्नी को न्यायिक तलाक लेने या वैवाहिक अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए अदालत से सम्पर्क करने का अधिकार सौंपा गया है। कानून इस्लामी महिला के अधिकारों को पहचानता है और उसे अपने पति से तलाक लेने का अधिकार दो तरीकों से देता है।

तलक–ए–ताफवेज – मुस्लिम व्यक्ति के पास अपनी पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को तलाक देने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प है या कुछ शर्तों को स्थाई रूप से या अस्थाई अवधि के लिए लगाता है अगर पत्नी को शक्ति सौंपी जाती है, तो उसे इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है और यदि वह इस शक्ति का उपयोग करती है, तो तलाक वैध और अन्तिम है।

लिआन – अगर पति अपनी पत्नी या व्यभिचार या अस्वस्थता पर झूठा आरोप लगाता है, तो कानून चरित्र की हत्या के आधार पर तलाक देने के लिए एक इस्लामी महिला के अधिकार को मान्यता देता है इस्लाम में इस प्रकार का तलाक केवल इस्लामी महिला के लिए उपलब्ध है यदि पति के आरोप झूठे और स्वैच्छिक हैं। पारस्परिक सहमति से तलाक इस्लामी तलाक के कानून तलाक के लिये एक इस्लामी महिला के अधिकार को पहचानते हैं, अगर वह अपने पति के साथ भी नहीं रहना चाहती है। विवाह को खुला नामक तलाक अनुबंध द्वारा भंग किया जा सकता है, जिसमें तलाक के नियम और शर्तें निर्धारित की जाती हैं। पति की सहमति खुला में प्रवेश करने के लिए स्वतन्त्र होनी चाहिये और बल या मजबूरी से प्रभावित नहीं होना चाहिये।

इस्लाम में एक अन्य प्रकार की आपसी सहमति तलाक है, जिसे मुबारत कहा जाता है, जिसमें तलाक के लिये प्रस्ताव पति या पत्नी द्वारा किया जा सकता है। जब दूसरा पति तलाक प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो अन्तिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है। इस्लाम में इस प्रकार के तलाक के बाद इद्दत की अवधि मनाई जानी चाहिये।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारो की रक्षा) अधिनियम, 2019

भारत में सामाजिक बदलाव की दिशा में जुलाई, 2019 का महीना ऐतिहासिक रहा जन मुस्लिमों में प्रचलित एक साथ तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) की प्रथा पर प्रतिबन्ध के लिए लाए गए विधेयक मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को संसद के दोनो सदनों ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा 31 जुलाई को अनुमोदन के पश्चात इसने कानून का रूप ले लिया है।

इस प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय के अलग–अलग धर्मों के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त, 2017 को 3–2 के बहुमत से असंवैधानिक करार देते हुये इसके लिए कानून बनाने को सरकार को कहा था। इसके अनुपालन के लिए लाये गये विधेयक को दो बार लोकसभा ने क्रमशः दिसम्बर 2017 में तथा दिसम्बर 2018 में पारित किया था, किन्तु विपक्षी दलों के प्रतिरोध के चलते दोनो बार यह राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका था। विधेयक के प्रावधानों को लागू रखने के लिये इस दौरन तीन बार (सितम्बर, 2018, जनवरी 2019 व फरवरी, 2019 में) अध्यादेश भी सरकार द्वारा लाया गया था। इस मामले में मोदी सरकार को ऐतिहासिक सफलता जुलाई, 2019 में अपने तीसरे प्रयास में मिली, जब तीसरी बार लोकसभा में लाए गए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारसंरक्षण) विधेयक, 2019 को लोकसभा में 26 जुलाई, 2019 को पारित कराने के चौथे ही दिन 30 जुलाई को राज्य सभा में भी सरकार ने पारित करा लिया।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

यह तलाक को तलाक–ए–बिद्दत के रूप में परिभाि ात करता है या किसी अन्य मुस्लिम व्यक्ति द्वारा सुनाए गए तलाक के इस रूप में होता है, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक होता है तलाक–ए–बिद्दत, मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत है, जिसमें मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के लिए तीन बार तलाकश ाब्द का उच्चारण करने से तात्कालिक और अपरिवर्तनीय तलाक हो जाता है।इस अधिनियम में तीन तलाक की परिपाटी को निरस्त और गैर कानूनी घोि ात किया गया है ।इसे तीन व ार्ं के कारावास और जुर्माने के साथ दण्डनीय अपराध माना गया है। भत्ता एक मुस्लिम महिला, जिसके खिलाफ तलाक घोि ात किया गया है, अपने पति से अपने लिए और अपने आश्रित बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता पाने की हकदार है। मजिस्ट्रेट द्वारा भत्ता पाने की हकदार है। मजिस्ट्रेट द्वारा भत्ते की राशि निर्धारित की जाएगी। कस्टडी – एक मुस्लिम महिला, जिसके खिलाफ तलाक घोि ात किया गया है, अपने नाबालिग बच्चों की निगरानी करने की हकदार है।

अधिनियम के अन्तर्गत अपराध और दण्ड

अधिनियम में तलाक को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है, जिसमें जुर्माना के साथ तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है संज्ञेय अपराध वह है, जिसके लिये पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट के किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। अपराध तभी संज्ञेय होगा, जब अपराध से सम्बन्धित जानकारी निम्न के द्वारा दी गई हो–

1. विवाहित महिला (जिसे तलाक दिया गया हो) या

2. रक्त या विवाह से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति। अधिनियम में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जमानत दे सकता है (महिला जिसे तलाक दिया गया है) की सुनवाई के बाद ही जमानत दी जा सकती है और अगर मजिस्ट्रेट सन्तुष्ट हो कि जमानत देने के लिए उचित आधार है।

3. जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, उसके अनुरोध के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को कठोर बनाया जा सकता है।

4. कम्पाउण्डिंग से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जहाँ दोनो पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने के

लिए सहमत होते हैं और विवाद का निपटारा करते हैं अपराध के लिए नियम और शर्त मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. यह अधिनियम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2018 कहा जाएगा।

6. इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा, जम्मू और कश्मीर के सिवाय

7. यह 19 सितम्बर 2018 से लागू माना जाएगा।

इस अधिनियम में, तत्काल ट्रिपल तलाक (तलाक–ए–बिद्दत) को असंवैधानिक ठहराया था। वाट्सऐप, एसएमएस के जरिए तीन तलाक देने से जुड़े मामले भी इस कानून तहत ही सुने जाऐंगे।

तीन तलाक वस्तुस्थिति

हालांकि हमारे देश के पास कोई आंकड़ा नहीं है, ये साबित करने के लिए कि किसने कितनी शादियां की या कितनी महिलाओं ने तीन तलाक और हलाला का दंश झेला। क्योंकि 1961 की जनगणना के बाद शादी पर कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया गया है, किन्तु यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज मुस्लमानों के पिछड़े होने का सबसे बडा कारण उस समाज की औरतों का पिछड़ापन ही है। तलाक के वास्तविक अर्थ एवं शर्तों को भली–भांति समझे बिना ही मर्दो ने औरतों पर तलाक से सम्बन्धित नियम थोप दिये हैं मुस्लिम औरत आर्थिक रूप से स्वावलम्बी नहीं है वह आर्थिक रूप से पुरूष पर आश्रित है शिक्षा क्षेत्र में भी उनकी संख्या बेहद मामूली है। तलाक के उपरान्त बच्चों की जिम्मेदारी की समस्या, घर छिन जाने की समस्या, रोजी–रोटी की समस्या, सुरक्षा की समस्या आदि गम्भीर समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। यदि इस्लाम में खुलाश तलाक लिया जाता है जिसकी पहल पत्नी कर सकती है तो उसे श्मेहरश पर से अपना हक छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शनिकाहश को निरस्त करने की पहल उसकी तरफ से की गई होती है।

मेहर कोई ऐसी रकम नहीं है जो तलाक के वक्त की परिस्थिति को देखकर तय होती है ये निकाह के वक्त तय होती है मेहर सुसराल की हैसियत से तय की जाती है। मान ले कि 'मेहर' की रकम 02 लाख रूपये तय की जाती है। शादी के 15 साल बाद तलाक देकर बच्चों समेत भगा दिया जाए तो ये रुपये कितने दिन चलेंगे। शायरा बानो को शादी के 14 साल बाद घर से निकाल दिया गया। उन्हें 14 साल घरेलू हिंसा और दहेज की लगातार मांग भी झेलनी पड़ी, वो 'मेहर' लेकर क्या कर लेंगी। शायरा बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा को खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 2001 में इनकी शादी हुई थी और 2015 अक्टूबर में पति ने इन्हें तलाक दे दिया। इनके दो बच्चों के खर्चे को लेकर भी समक्ष चुनौती है। इसी प्रकार आफरीन रहमान, जो जयपुर से हैं, इनकी शादी इंदौर में रहने वाले सैयद अशारअली वारसी से अगस्त 2014 में हुई थी शादी के दो माह बाद से ही इन्हें दहेज के लिये प्रताड़ित किया जा रहा था। जनवरी, 2017 को इन्हें स्पीड पोस्ट से तलाकनामा भेज दिया गया।

इशरतजहां के पति ने उन्हें फोन पर तीन तलाक कह कर छोड़ दिया था इशरत के चार बच्चों को भी उनका पति अपने साथ ले गया था। इण्डियन एक्सप्रेस में छपे उनके वकील के बयान के मुताबिक इशरत ने अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए काफी संघर्ष किया, उन पर हमला भी हुआ। इशरत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के सैक्शन 2 को चुनौती दी थी।

उत्तरप्रदेश के रामपुर में रहने वाली गुलशन परवीन की शादी 2013 में हुई थी जब वो अपने माता–पिता के यहां आई हुई थी, उनके पति ने उन्हें 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर तलाकनामा लिख कर भेज दिया था तलाकनामा स्वीकार करने से इंकार करने पर उनके पति ने रामपुर परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा दी। अतिया साबरी हरिद्वार जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली है। वर्ष 2012 में उनकी शादी वाजिद अली के साथ हुई थी उसके बाद उन्हें दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाने लगा। पहली दो औलाद लड़की होने के बाद उन्हें मार–पीट कर मायके भेज दिया गया। आतिया के पति ने कागज पर तीन बार तलाक लिख कर तलाक का ऐलान कर दिया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस तलाक को देवबंद स्थित मदरसा दारुल उलूम ने भी जायज ठहराया था।

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन इन पांच औरतों अलावा भारतीय मुस्लिम महिला आन्दोलन ने भी मुस्लिम वुमेन्स क्वेस्ट फॉर इक्वैलिटी के शीर्षक

से एक याचिका लगाई। इनकी याचिका में संविधान में बराबरी के हक और तीन तलाक की सही विधि को लागू कराने की बात कही गई है। 1985 से 2019 तक 34 साल में दो मौके ऐसे आए जब तीन तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद संसद पहुंचा और इस पर कानून बना 1985 में शाहबानो थी जिन्हें हक दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए कानून बनाकर पलट दिया गया था। वही इस बार संसद ने ऐसा विधेयक पारित किया है, जिससे तीन तलाक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।

इन्दौर की रहने वाली शाहबानो 62 साल की थी, जब उनके तीन तलाक का मामला सुर्खियों में आया शाहबानो के 05 बच्चे थे, उनके पति ने 1978 में उन्हें तलाक दिया था। पति से गुजारा भत्ता पाने का मामला 1981 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पति का कहना था कि शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को बढ़ा हुआ गुजारा भत्ता देने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। जब देश में इसका विरोध हुआ तो उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने 1988 में एक कानून बनाया। इसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाइल्यूट कर दिया। कानून के तहत महिलाओं को सिर्फ इद्दत (सेपरेशन के वक्त) के दौरान ही गुजारा भत्ता मांगने की इजाजत मिली। यह कानून श्द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1986श् कहलाया । तलाक के अनेक प्रकारों में से तीन तलाक का वर्तमान नियम स्त्रियों के प्रति इतना निर्मम है कि मर्द जब चाहे एक बार में तीन तलाक बोलकर अपनी बीवी को जिन्दगी के उसके हिस्से के सफर में अकेला और बेसहारा छोड़ दे कामकाजी औरते शायद इस पीडा से उबर भी जाए, पति पर पूर्णतया आश्रित और बाल बच्चेदार औरतों के लिए तलाक के बाद की जिन्दगी कितनी कठिन होती होगी, इसकी कल्पना भी भयभीत करती है मेहर की छोटी रकम से जिन्दगी नहीं गुजारी जा सकती।

मुस्लमानों के तमाम धर्मगुरू और लगभग सारे मुल्ला–मौलवी पुरुष वर्ग से आते हैं, औरतों का वहां कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं दारुल उलूम ये वो नाम है जो इस्लामी कायदे कानूनों के बारे में लोगों (मुस्लमानों) के संदेह का निराकरण करने वाली संस्था है और प्रत्येक मुस्लमान (मुस्लमान मतलब जो मुसल्लम ईमान है– ईमान का पक्का) वो अपने ईमान से जुडी इस संस्था के फतवों को कैसे नजरअंदाज कर सकता है एक पक्के और सच्चे मुस्लमान के लिये इन फतवों के जरिये जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है इस संस्था के फतवे इस्लामी कायदे–कानून – खुदा की पुस्तक कुरान तथा हदीसों (पैगम्बर मुहम्मद के कथनों, कर्मों और कार्यों को कहते हैं, अब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये ऐसे फतवे बनवा लिये गये हैं, जैसे– देवबंद ने अपने एक फतवे में कहा कि इस्लाम के मुताबिक सिर्फ पति को ही तलाक देने का अधिकार है और पत्नी अगर तलाक दे भी दे तो भी वह वैध नहीं है, अर्थात् केवल एक पुरुष ही तलाक दे सकता है– स्त्री को कोई अधिकार नहीं और अगर स्त्री दे भी तो भी वैध नहीं। देवबंद ने अपने एक फतवे में यह भी कहा कि पति अगर फोन पर भी अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो वह भी उसी तरह मान्य है जैसे सामने दिया गया। ये फतवे महिलाओं को काजी, जज या शासक बनाने के भी विरोध में है, क्योंकि ऐसा होने पर स्त्रियों के हक में और फायदे में फतवे आने शुरू होंगे तब दिक्कत हो जाएगी यदि जिन पवित्र पुस्तकों की बिनाह पर ये मुल्ले मौलवी इन फतवों को तैयार करते हैं, वो मुहम्मद साहब के जमाने से चली आ रही हो, क्या ये सम्भव या पुरुषों ने अपने स्वार्थ के लिये महिलाओं का शोषण करने के लिये इन फतवों को तैयार करवाया है, यह बात विचारणीय है।

तीन तलाक पर प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक वाजिब कदम है तीन तलाक, हलाला और बहु–विवाह जैसी समस्याओं से मुस्लिम महिलाओं पर काफी अत्याचार हो रहे थे, जिनसे अब उन्हें निजात मिलने की उम्मीद है। हालांकि न्यायालय ने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया कि हलाला और बहुविवाह पर अलग से सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम महिलाऐं जहां तीन तलाक पर पूर्णप्रतिबंध चाहती है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक कायम रखना चाहता था। वो इसे इस्लामिक मान्यताओं का एक जरूरी अंग मानता है और इसी आधार पर इसे वाजिब मानते हुए कायम रखना चाहता था। केन्द्र सरकार ने इसे समानता के मौलिक अधिकार का हनन माना, क्योंकि तीन तलाक में सारे अधिकार पुरुष को हैं और महिला को नहीं, जिस कारण महिला को काफी परेशानी झेलनी पड़ती हैं–3

अपने पति में दोबारा निकाह करने के लिए उन्हें हलाला जैसी भयानक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसकी अनेक अमानवीय खबरें सामने आई हैं। इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं में खुशी है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि हिन्दुओं में भी दहेज और बाल विवाह को लकर कानून है फिर भी ये प्रथाऐं समाज में आज भी कायम है ऐसे ही तीन तलाक 1400 साल पुरानी समाजिक प्रथा है, जिसका खात्मा ऐसे नहीं हो सकेगा। किन्तु हिन्दुओं ने सामाजिक सुधार के लिये स्वयं प्रयास किये हैं सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु–विवाह जैसी अनेक कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास सफल हुआ है। महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ है और वे प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह मानना होगा कि सरकार के जवाब से ही यह समस्या समाधान तक पहुंची। सरकार ने वास्तविक पंथनिरपेक्षता का परिचय दिया। उसने इस विषय को वोट बैंक की सियासत से नहीं देखा। संविधान, मुस्लिम जगत आदि पर व्यापक विचार के बाद जवाब तैयार किया। जहां तक संविधान की बात है, उसमें समान कानून की बात कही भी गई है। सरकार ने बताया कि मुस्लिम देशों ने भी तीन तलाक को गलत माना इसे अपने–अपने मुल्क में प्रतिबंधित कर दिया । ऐसे में भारत को भी इस सुधार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये इस प्रकार सरकार ने संविधान और मजहबी संवेदनशीलता को ध्यान में रखा उसने अपनी तरफ से पहल नहीं की थी, वरना सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्वयं तीन तलाक को संज्ञान में लिया था। इसके बाद पांच याचिकाओं में भी इसे समाप्त करने की अपील की गई थी।

इस फैसले के बाद देशभर में मुस्लिम महिलाओं में जिस तरह खुशी की लहर दौड़ी और वे एक–दूसरे को मिठाई खिलाती नजर आई, वह दर्शाता है कि उनके लिये ये जीत कितनी बड़ी है। तीन तलाक के खिलाफ एक पक्षकार, भारतीय मुस्लिम महिला मंच की जकिया सोमन ने कहा कि इस जीत के लिये हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब संसद का यह कर्तव्य है कि वह मुस्लिम औरतों को भी पूरे हक दिलाये। डॉ. दिलीप (हिन्दू कॉलेज एसोसियेट प्रॉफेसर) इन्होंने यह भी कहा कि अभी बच्चों की परवरिश व जिम्मेदारी व सम्पत्ति में अधिकार की बात भी है, ये भी औरतों को मिले बहुविवाह और निकाह हलाला भी खत्म होना चाहिये।

भारतीय मुस्लिम इस बात पर यकीन करते हैं कि वे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुस्लिमों से काफी सभ्य, शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष हैं। यदि ऐसा है तो फिर वे धर्म के नाम पर इतने कठोर कानूनों को क्यों मान रहे हैं? भारतीय मुस्लिम धार्मिक कानून से बंधे हुए हैं। इससे नारी के समानता के अधिकारों का हनन होता रहा है भारतीय मुस्लिम कानून में विवाह, तलाक, संतान के दायित्व, उत्तराधिकार आदि में महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। समान अधिकार के लिये विभिन्न दीवानी कानून मानने को लेकर मुस्लिम समाज को आपत्ति है। अगर इतना लम्बा वक्त तीन तलाक खत्म करने में लगा तो अन्य जो कुप्रथाएँ और नियम हैं उन्हें समाप्त करने में कितने वर्ष लगेंगे? तीन तलाक के बाद निकाह हलाला, बहुविवाह भी बंद होना चाहिये। उत्तराधिकार सम्बन्धी मसलों को भी समानता के आधार पर तय किया जाना चाहिये। क्या सातवीं सदी के कानूनों को 21 वीं सदी में बदलने के लिये और वक्त देने का कोई मतलब है भेदभाव करने वाले सभी कानून समाप्त कर समानता के अधिकार वाले कानूनों को मानना और लागू करना ही बुद्धिमतापूर्ण कार्य है। एक गणतांत्रिक देश में दकियानूसी और भेदभाव वाले कानूनों का कोई स्थान नहीं हो सकता। मुस्लिम महिलाऐं एक गणतांत्रिक देश में मानवाधिकार से वंचित है। कई लोगों का मानना है कि तीन तलाक के खत्म होने से महिलाएं पति की पिटाई खाकर भी पति और सन्तान के लिए दासी बनी रहेगी, क्योंकि उनके लिए पति के अलावा कोई मददगार नहीं है। किन्तु पति–पत्नी में तलाक होने पर भी वे अपनी औलाद को लेकर कहाँ जाएगी? इसलिए वे आत्महत्या करती है। इस समस्या का समाधान है–शिक्षा और आत्म निर्भरता जब तक वो अपने हिसाब से अर्थ अर्जन नहीं करती तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी।

निष्कर्ष

आज भी मुस्लिम धार्मिक कानून के तहत कई अन्य प्रकार भी हैं, जिनमें पुरूष महिलाओं को तलाक दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लाम में तलाक देने का एकाधिकार सिर्फ पुरुषों के पास है यह गम्भीर मसला है जिसे सर्वोच्च न्यायालस ने 395 पन्नों के फैसले में सुलझाया नहीं। तलाक के लिए मुस्लिम पति अदालत का रुख नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत वह तलाक दे सके इसके लिए उसे या तो किसी मौलवी के पास जाना होगा या खुद ही लिखकर कर इसकी तस्दीक करनी होगी। पति के उलट पत्नी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत तलाक के लिए अदालत जा सकती है वह किसी इस्लामिक धर्मगुरू के माध्यम से भी तलाक ले सकती है। तुरन्त तीन तलाक को अवैध करार देना कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन बेहतर यह होता कि सुप्रीम कोर्ट यह व्यवस्था देता कि शौहर को तलाक के लिए अदालत में ही मामला दाखिल करना होगा और दोनो पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद अदालत में तलाक दिया जाएगा। इससे अदालतें मुस्लिम तलाक से जुड़ी सभी समस्याओं का हल निकाल सकती और इस्लामिक धर्मगुरुओं के पास आलोचना करने की कोई वजह नहीं होती।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन किये जाने से भी महिलाओं के संर्वागीण विकास की ओर कदम उठाए जा सकते हैं मुस्लिम समाज की महिलाओं को जागरूक करने के लिये शिविरों, नुक्कड़ नाटकों एवं कठपुतली शो आदि का आयोजन किया जाना चाहिये। वर्तमान में भारतवर्ष के नागरिकों हेतु एक ही प्रकार की नागरिक संहिता पर बहस भी चल रही है, जो जरूरी प्रतीत होती है। मुस्लिम महिला आंदोलन एवं संगठनों को सकारात्मक सहयोग दिया जाना चाहिये। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य महसूस की जा रही है, जो चिन्ता का विषय है। देश की मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु जन जागरण, शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं स्वयं उन्हें देश के मुख्य घाटा में जोड़ने हेतु सभी को सम्भावित प्रयास होंगे । इस्लाम में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुस्लमान कहलाता है और मुस्लमानों को नियंत्रित या शासित करने वाली विधि को मुस्लिम विधि या शरीयत कहा जाता है।

सदर्भ सूचि

1. प्रतियोगिता दर्पण / सितम्बर, 2017 पेज नं. 17
2. दैनिक भास्कर 31 जनवरी 2016
3. कनिष्का तिवारी www.spmrf.org
4. डॉ. दिलीप अग्निहोत्री www-spm-rf-org
5. क्षमा शर्मा, 23 अगस्त, 2017 नई दुनिया
6. तसलीमा नसरीन 24 अगस्त, 2017 दैनिक जागरण